न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं. 60/2015

तुलसाराम पुत्र राजूराम जाति बावरी निवासी 4 एल.एम. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अनूपगढ।
2. रामप्रताप पुत्र मघरसिंह जाति बावरी निवासी 3 जीडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
3. राजविन्द्र कौर रामप्रताप जाति बावरी निवासी 3 जीडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर। —रेस्पोडेटान

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956
विरूद्ध आदेश अति.कलेक्टर सूरतगढ
दिनांक 26.03.2015
उपस्थित
श्री राजेश गुम्बर अभिभाक अपीलार्थी
श्री इकबालसिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता
श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभषक रेस्पो. 2 व 3

निर्णय दिनांक 27.11.2017

अपीलांट द्वारा यह अपील अति.कलक्टर सूरतगढ के आदेश दिनांक 26.03.2015 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा राज.उपनिवेशन की धारा 11/14 का प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए चक 4 एल.एम के मु.नं. 271/478 के कि.नं. 1 से 25 की 5.527 है0 भूमि Resume करने के आदेश दिये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध जो शिकायत प्रा.पत्र पेश किया गया था वो रंजिशवश है। अपीलांट को दिनांक 21.02.1988 को 17 बीघा का एवं दिनांक 01.02.1988 को 4.17 बीघा का

27/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बतौर स्मालपेच में आवंटन किया गया था। स्मालपेच में किये गये आवंटन का शिकायत प्रा.पत्र में आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता। अपीलांट द्वारा किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया है। अपीलांट का आवंटन 1986 का है। इतने पुराने आवंटन को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाया था जिसकी शिकायत होने पर जांच करवाये जाने पर अधी. न्यायालय ने आवंटन खारिज करने में कोई भूल नहीं की है।

विद्वान अभिभाषक 2, 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों. सं. 2 व 3 ने तुलसाराम से कि.नं. 12 से 25 की 2.897है0 भूमि अपीलार्थी तुलसाराम से जरिये बैयनामा क्रय की है। रेस्पों. सदभावी क्रेता है। अतः उक्त भूमि के आवंटन निरस्ती आदेश को निरस्त किया जाए।

बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट द्वारा अपील अति.कलक्टर सूरतगढ के निर्णय दिनांक 26.03.2015 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अति.कलक्टर सूरतगढ द्वारा गलत ढग से अपीलाट की खातेदारी भूमि Resume की है। अतः आदेश निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया। दोनों ही अपील का Key Parson तुलसाराम को तहसील अनूपगढ के चक 4 एलएम के प.न. 271/478 के कि.न. 1 से 25 की कुल 5.527है0 कृषि भूमि दो स्वरूपों में आवंटन होकर राजस्व रिकार्ड में अमल हुई। इन आवंटनों में प्रथम स्वरूप के आवंटन का विवरण है कि तुलसाराम को तहसील अनूपगढ के चक 4 एल.एम. के मु.नं. 271/478 की 17 बीघा भूमि कमाण्ड राज.उपनिवेशन (इ.गा.न.उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 21.02.1986 को पुख्ता आवंटन की है तथा द्वितीय स्वरूप में इसी मुरब्बे में 4.17 बीघा कमांड भूमि स्मालपैच में आवंटित होकर अपील संख्या 60/2015 में विवाद का विषय है। जबकि तहसील अनूपगढ के चक 4 एम एल के प.न. 271/478 के कि.न. 12 से 25 रकबा 2.897 है0 भूमि केताओं द्वारा जरिये

27/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रजिस्टर्ड बेचाननामों से क्रय की जाकर अपील संख्या 258/2015 की विषयक आराजी है।

अपीलांट तुलछाराम के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11 पठित धारा 14 के तहत प्रकरण संख्या 29/2004 अति.कलक्टर सूरतगढ के न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र दर्ज हुआ कि तुलछाराम ने अपने पिता के नाम दर्ज भूमि के तथ्यों को छिपाकर गलत आवंटन करवा लिया जिसका निर्णय अति.कलक्टर सूरतगढ द्वारा दिनांक 24.03.2006 को किया जाकर तुलछाराम के नाम दर्ज भूमियों में से तहसील अनूपगढ के चक 4 एलएम के प.न. 271/478 के कि.न. 1 से 11 की 2.730 है0 कमांड भूमि बहक सरकार लेने के आदेश दिये। इस निर्णय का रिव्यु प्रार्थना पत्र अधी. न्यायालय अति.कलक्टर सूरतगढ में पेश कर आदेश दिनांक 24.03.2006 अपास्त करने का अनुतोष चाहा जिसे अधी.न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2012 अस्वीकार किया है जिसका कियात्मक भाग बिन्दु संख्या 9 है जिसका पठन है कि अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रा.पत्र दिनांक 13.02.2008 अस्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.12.2007 प्रभावशील है जिसके अन्तर्गत अप्रार्थी को आवंटित चक 4 एल.एम. के मु.नं. 271/478 के कि.नं. 1 से 11 की 2.730है0 भूमि बहक स्टेट रिज्युम की गई थी। तहसीलदार अनूपगढ को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त भूमि का कब्जा बहक स्टेट प्राप्त कर तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें।

अपीलांट तुलछाराम द्वारा अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.03.2012 जिसके द्वारा उसका रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज किया है के आदेश को निरस्त करने का अनुतोष इस न्यायालय से चाहा जो दिया जाकर निर्णय दिनांक 19.06.2013 द्वारा अधी. न्यायालय का निर्णय निरस्त कर पुनः निर्णय हेतु पत्रावली रिमांड की। इस आदेश की पालना में अधी. न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर मिसल 8/2014 कायम कर सुनवाई शुरू की। इसी दौरान निर्णय दिनांक 24.03.2006 में रकबा राज घोषित भूमि को छोड़कर शेष भूमि कि.नं. 12 से 25 का विशुद्ध खातेदारी रकबा 2.897 है0 इस अपील के रेस्पो. एवं अपील संख्या 258/15 के अपीलांट रामप्रताप व राजविन्द्रकौर द्वारा शुद्ध रकबा खातेदारान के नाम से दर्ज था जरिये बेचान

27/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दस्तावेजों से कय किया तथा दस्तावेजों का पंजीयन दिनांक 28.01.2005 को उपपंजीयक कार्यालय अनूपगढ़ में करवाया। इस तिथि के पश्चात अति0 कलेक्टर सूरतगढ़ को इस न्यायायल द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण सं. 08/2014 का निर्णय दिनांक 26.03.2015 द्वारा अपीलांट को दो स्वरूपों में आवंटित समस्त आराजी 5.527 है0 बहक स्टेट Resume किये जाने के आदेश दिये जो अपीलाधीन आदेश होकर विवेचन एवं परीक्षण का Issue है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड , उभय पक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि अपीलांट तुलछाराम ने अपील कर उसके खाते की 2.730 है0 भूमि अधिग्रहित को Restore करवाने की प्रार्थना के साथ अपील दायर की जो 2.730 है0 के बजाये सम्पूर्ण रकबा 5.527 है0 को ही आराजी राज घोषित करना अपील की अवधारणा के विरूद्ध है। अगर तुलछा अपील दायर नहीं करता तो क्या सम्पूर्ण रकबा राज घोषित होता का विधिक जबाब नहीं होने से विधिक Self incrimination है जो Legally अपीलांट को Protect करता है। अत: राज.उपनि. अधि. की धारा 11 पठित धारा 14 के प्रा.पत्र के निर्णय दिनांक 24.03.2006 को यथावत रखते हुए अपील सं. 60/2015 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसील अनूपगढ के चक 4 एम एल के मु.नं. 35 के प.नं. 271/478 के कि.नं. 1 से 11 रकबा राज यथावत रखते हुए अधी. न्यायालय का निर्णय 26.03.2015 अपास्त किया जाता है एवं चक 4 एम एल के मु.नं. 35 के प.नं. 271/478 के कि.नं. 12 से 25 का रकबा जो रेस्पों. रामप्रकाश व राजविन्द्रकौर द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से कय किया है के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

निर्णय दिनांक 27.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर